भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3497
दिनांक 23 मार्च 2026

## पेट्रोल पंपों पर अग्नि सुरक्षा और घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में निवारक उपाय

3497 **डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः**

क्या *पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समयबद्ध कार्यक्रम और औचक निरीक्षण सहित देशभर के पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त अग्निशमन प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के लिए कितने पेट्रोल पंपों पर अर्थदंड लगाया गया है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देशभर के पेट्रोल पंपों पर आग लगने की कितनी छोटी और बड़ी घटनाएं दर्ज की गईं हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई हैं; और
(घ) विशेष रूप से मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के समन्वय से पेट्रोल पंपों पर अग्नि सुरक्षा मानकों और आपातकालीन तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ)ः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पीएनजीआरबी (तकनीकी मानक और विशिष्टताएँ, जिनमें ऑटोमोटिव ईंधन वितरण के लिए सुरक्षा मानक भी शामिल हैं) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) और इनके विभिन्न प्रकारों जैसे ऑटोमोटिव ईंधनों का वितरण करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज़) में अग्नि सुरक्षा एवं बचाव सुविधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। उक्त विनियमों के अनुसार, कोई भी कम्पनी जो खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करना चाहती है, उसे इन विनियमों के अनुरूप डिजाइन सम्बन्धी विचारों सहित अपनी योजना पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को अनुमोदन के लिए उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) सम्बन्धी आचार संहिता) विनियम, 2010 अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्वामित्व कम्पनियों को आपातकालीन नियंत्रण प्रणालियों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, जिनमें अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशमन प्रणाली आदि शामिल हैं।

सुरक्षा मानकों सहित पीएनजीआरबी के तकनीकी मानक और विनिर्देश निम्नलिखित उपायों को अधिदेशित करते हैंः-

i. तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) के किसी अधिकारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वार्षिक सुरक्षा लेखापरीक्षा।
ii. हर तीन वर्ष में एक बार विद्युत सुरक्षा ऑडिट।

iii. डीलरशिप या संचालन कर्मियों द्वारा साप्ताहिक सुरक्षा जाँच।
iv. त्रैमासिक आधार पर मॉक ड्रिल आयोजित करना जैसाकि पीएनजीआरबी-ईआरडीएमपी विनियमों में अधिदेशित है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि समय-समय पर संशोधित पेट्रोलियम नियम 2002 में निर्धारित सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करने के बाद ही आरओ कमीशन किया जाता है। उक्त सभी विनिर्देशों का अनुपालन करने के बाद ही पीईएसओ सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ को आरओ चलाने की अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ नियमित और औचक निरीक्षण के माध्यम से इन मानकों को बनाए रखने का प्रयास करती हैं और कमियाँ पाए जाने पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है।

पीएनजीआरबी (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) संबंधी आचार) संहिता विनियम, 2010 के अनुसार, आरओज़ पर आपातकालीन स्थिति से निपटने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले सभी कर्मियों (कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों, परिवहन दल और सुरक्षा कर्मियों सहित) को प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कोर्स कराया जाना अधिदेशीत करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ जो पेट्रोल पंप डीलरों और उनके कर्मचारियों को सुरक्षा पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध सभी अग्निशमन प्रणालियों की आवधिक जाँच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, पीईएसओ द्वारा निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, एनओसी शर्तों के अंग के रूप में महाराष्ट्र राज्य अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं का भी आरओ में अनुपालन किया जाता है जिससे अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों, विशेष रूप से मुंबई जैसे उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में, को और मजबूत किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ द्वारा अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के लिए आरओ को दंडित करने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

पिछले 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25) और वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ के आरओज़ में आग लगने की 93 छोटी और 19 बड़ी घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसकी प्रतिक्रिया में, ओएमसीज़ ने कई कदम उठाए हैं जिनमें डीलरों और आरओ कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा और मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी), विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी, अग्निशमन सम्बन्धी प्रक्रियाओं, टैंकर ट्रकों (टीटी) के डिकैंटेशन और सीएनजी ईंधन सम्बन्धी प्रचालन प्रशिक्षण, संविदाकार/नगर गैस वितरण (सीजीडी) कम्पनी की अवकाश सूची, अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि शामिल हैं।

*****